R.N.R.

समक्ष प्रमोद कोहली ,माननीय न्यायमूर्ति

नरिंदर कुमार जैन, — आवेदक
बनाम

मैसर्स डोमिनो लेदर्स लिमिटेड (IN LIQUIDATION)
आधिकारिक परिसमापक के माध्यम से, — उत्तरदाता

C.A. No. 690 of 2007 in

C.A. 305 of 2006

C.A. No. 691 of 2007 in

C.A. 304 of 2006
22 फरवरी, 2008

कंपनी (कोर्ट) नियम, 1959 —. नियम 9 —उच्चतम बोलीदाताओं के पक्ष में बिक्री की पुष्टि —असफल बोलीदाताओं को बयाना धन की वापसी — बयाना की राशि पर ब्याज के लिए दावा — *शर्तें 3 और 13* के अंतर्गत *प्रतिभागियों की बोली स्वीकार नहीं होने की स्थिति में वे बयाना राशि पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे।*— आवेदक किसी भी ब्याज का दावा किए बिना अपनी राशि की वापसी स्वीकार करते हैं— *आवेदन बिना योग्यता के खारिज* की जाती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि शर्तें 3 और 13 ने सभी प्रतिभागी बोलीदाताओं को पर्याप्त रूप से अवगत करा दिया था कि यदि उनकी बोली स्वीकार नहीं की जाती है या किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जाती है तो वे बयाना राशि की राशि पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे। ऐसी स्थितियों को अच्छी तरह से जानते हुए, आवेदकों ने बोली में भाग लिया और बयाना राशि को जमा किया | यहां तक कि जब इस न्यायालय द्वारा 26 जुलाई, 2007 और 2 अगस्त, 2007 के आदेश पारित किए गए, तब भी ऐसा कोई दावा पेश नहीं किया गया, बल्कि आवेदकों ने बिना किसी ब्याज का दावा किए अपनी राशि की वापसी स्वीकार कर ली। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि जिस समय बयाना राशि वापस करने का आदेश दिया गया था, उस समय आवेदकों ने ब्याज के लिए दावा दायर किया था या नहीं। यदि उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, तो इसे माना जाता है कि उन्होंने इसे त्याग दिया है / छोड़ दिया

है, और यदि उन्होंने कोई दावा किया है, लेकिन उसे नहीं दिया गया है, तो इसे माना जाता है कि वह खारिज कर दिया गया है| वर्तमान आवेदन विचारोपरांत हैं|

(पैरा 8)

विजय शर्मा, आवेदक की ओर से अभिवक्ता

अनिल के. अग्रवाल, आधिकारिक परिसमापक की ओर से अभिवक्ता

प्रमोद कोहली , जे

(1) यह आदेश 2007 के सीए नंबर 690 को 2006 के सीए नंबर 305 में और 2007 के सीए नंबर 691 को 2006 के सीए नंबर 304 में निपटा देगा, क्योंकि दोनों आवेदनों में कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं।

(2) आवेदकों ने वर्तमान आवेदन दायर कर उस अवधि के लिए, जब राशि आधिकारिक परिसमापक के पास रही, अर्थात 27 फरवरी, 2006 से 10 अगस्त, 2007 तक, सीए नंबर 691/2007 में 45,10,000 रु., 2007 के सीए नंबर 691 में 45,00,000 बयाना राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए आधिकारिक परिसमापक को निर्देश देने की मांग की है।

(3) 12 जनवरी 2006 को इस न्यायालय द्वारा कंपनी याचिका संख्या 50/1999 में कंपनी आवेदन संख्या 939/2005 में दिये गए आदेश के परिणामस्वरूप, एक बिक्री सूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें 25 जनवरी, 2006 को ट्रिब्यून (चंडीगढ़ संस्करण), दैनिक भास्कर (चंडीगढ़ संस्करण), अजीत (जालंधर संस्करण), अमर उजाला (कानपुर), इकोनॉमिक टाइम्स (मुंबई और दिल्ली संस्करण) और थांती (चेन्नई) में M/s Domino Leathers Limited (लिक्विडेशन में) की संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री के लिए की गई थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आवेदकों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए और बयाना राशि भी जमा की। आधिकारिक परिसमापक ने बिक्री की पुष्टि के लिए आवेदन किया| इस बीच, अन्य बोलीदाता भी आगे आए और अधिक राशि की प्रस्तावना की। आखिरकार, लॉट नंबर IV के संबंध में M/s Chaudhary & Sons Lorgings Private Limited के पक्ष में 4.30 करोड़ रुपये के लिए बोली गई और लॉट नंबर VII (सम्मिलित लॉट नंबर V और VI) के संबंध में

T.H. Estate Private Limited के पक्ष में 3.55 करोड़ रुपये के लिए बोली गई और आवेदकों द्वारा जमा की गई बयाना धन की राशि को उन्हें 10 अगस्त, 2007 को वापस कर दिया गया|

(4) आधिकारिक परिसमापक ने ब्याज के भुगतान का विरोध किया |जाहिर है, बिक्री नोटिस आधिकारिक परिसमापक द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ जारी किया गया था:-

> "3. नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए दी गई बयाना राशि आधिकारिक परिसमापक द्वारा संबंधित बोलीदाता को उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
>
> XXX XXX XXX
>
> 13. यदि बिक्री की पुष्टि नहीं हुई है या किसी भी आधार पर रद्द कर दी गई है, तो क्रेता अपनी जमा राशि या बयाना राशि, जैसा भी मामला हो, बिना ब्याज के वापस लेने का हकदार होगा और अपनी लागत, शुल्क और खर्च का भुगतान करने का हकदार नहीं होगा। बिक्री संपत्ति के लिए किसी भी खरीदार को बिक्री के लिए प्रासंगिक घोषित नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी तरह के मुआवजे या क्षति का हकदार होगा।

(5) यह भी स्वीकृत है कि बिक्री की पुष्टि उच्चतम बोली लगाने वालों के पक्ष में की गई थी जिन्होंने आवेदकों की तुलना में बहुत अधिक राशि की पेशकश की थी। उच्चतम बोलियों को स्वीकार करते समय, दिनांक 26 जुलाई, 2007 और दिनांक 2 अगस्त, 2007 के आदेश द्वारा, इन आवेदनों में आवेदकों सहित असफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि वापस करने के निर्देश भी पारित किये गए | इन दोनों आदेशों में ब्याज भुगतान का कोई निर्देश नहीं था।

(6*)* आवेदकों के विद्वान अभिवक्ता ने **द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर, एच.सी. कलकत्ता और अन्य**[1] के निर्णय का संदर्भ दिया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिक्री को रद्द करते हुए और परिसमापन में कंपनी की संपत्ति की पुनः बिक्री का आदेश देते हुए, निम्नानुसार अवधारित किया है:-

---

[1] AIR 1994 S.C. 167

"6.... हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के परिणामस्वरूप, लक्ष्मी पेट्रोकेम और हुगली मिल्स द्वारा कलकत्ता में आधिकारिक परिसमापक के पास की गई जमा राशि, यदि कोई हो, तो उसमें वृद्धि के साथ उन्हें वापस कर दी जाएगी। हम यह भी देख सकते हैं कि लक्ष्मी पेट्रोकेम और हुगली मिल्स इसके बाद होने वाली बिक्री में उन्हीं नियमों और शर्तों, जो अन्य सभी पर लागू हैं,पर भाग लेने के हकदार होंगे

(7) आवेदकों के विद्वान अभिवक्ता ने **Commissioner of Sales Tax, U.P. बनाम Gouti Bandhu, Aligarh and others [2],** के निर्णय का संदर्भ दिया है,जिसमें यह अवधारित किया है : -

"6. श्री गांगुली अपने तर्क में सही हो सकते हैं कि अपीलकर्ता ने पैसा जमा कर दिया है, उसे उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और इस संबंध में डिवीजन बेंच द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। उत्तरदाताओं 2 और 3 की संपत्ति के खिलाफ किसी भी मौजूदा दायित्व की स्थिति में, किसी भी ऋण का भुगतान करने के लिए, यह आधिकारिक समनुदेशिती (official assignee) के लिए खुला हो सकता है कि वह संपत्तियों का ऐसा हिस्सा सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री के लिए ला सके जो दायित्व का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त हो , या तो निविदाएं आमंत्रित करके या सीपीसी के आदेश 21 के तहत उचित प्रक्रिया के माध्यम से और फिर उसके अनुसार बिक्री का संचालन *करें*। यदि आधिकारिक समनुदेशिती ने रु*77,500.* किसी भी ब्याज-अर्जित सुरक्षा में निवेश किये है तो ब्याज सहित मूल राशि अपीलकर्ता को वापस करने का निर्देश दिया जाता है| यदि राशि किसी जमा राशि में नहीं रखी गई थी और उत्तरदाताओं 2 और 3 द्वारा देय बकाया ऋण का भुगतान करने के लिए उपयोग की गई थी, तो अपीलकर्ता जमा की गई राशि पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार है और बिक्री ब्याज देनदारी को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। बिक्री द्वारा सुरक्षित राशि से, भूमि पर बंधी देनदारियों का निर्वहन करने के अलावा, जमा की तारीख से अपीलकर्ता को पुनर्भुगतान की तारीख तक ब्याज भी अपीलकर्ता को चुकाया जाना चाहिए|

[2](1997)11 S.C.C. 274

(8) कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त दोनों निर्णयों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ब्याज सहित धन वापस करने के निर्देश दिए है । हालाँकि, इनमें से किसी भी मामले में, वर्तमान मामले की तरह बिक्री/नीलामी नोटिस में कोई शर्त नहीं थी। शर्तें 3 और 13 सभी प्रतिभागी बोलीदाताओं को पर्याप्त रूप से अवगत कराती हैं कि यदि उनकी बोली स्वीकार नहीं की जाती है या किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जाती है तो वे बयाना राशि की राशि पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे। ऐसी शर्तों को अच्छी तरह से जानते हुए, आवेदकों ने बोली में भाग लिया और बयाना राशि जमा कर दी।यहां तक कि जब 26 जुलाई, 2007 और 2 अगस्त, 2007 के आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए, तब भी ऐसा कोई दावा पेश नहीं किया गया, बल्कि आवेदकों ने बिना किसी ब्याज का दावा किए अपनी राशि की वापसी स्वीकार कर ली। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि जिस समय बयाना राशि वापस करने का आदेश दिया गया था, उस समय आवेदकों ने ब्याज के लिए दावा दायर किया था या नहीं। यदि उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, तो इसे माना जाता है कि उन्होंने इसे त्याग दिया है / छोड़ दिया है, और यदि उन्होंने कोई दावा किया है, लेकिन उसे नहीं दिया गया है, तो इसे माना जाता है कि वह खारिज कर दिया गया है|दी गई स्थितियों में, वे ब्याज का दावा नहीं कर सकते। वर्तमान आवेदन विचारोपरांत हैं। ऊपर उल्लिखित निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं। बेची गई संपत्तियों का हक या हित पहले ही सफल बोली लगाने वाले को पारित कर दिया है | आधिकारिक परिसमापक के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जिस पर ब्याज लगाया जा सके। आवेदकों के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित दोनों मामलों में, कंपनी की संपत्ति अभी तक बेची नहीं गई थी और इन परिस्थितियों में,**Commissioner of Sales Tax, U.P. (supra),** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि बोली लगाने वाले को देय ब्याज, जिसकी बयाना राशि वापस कर दी गई है, को भी कंपनी के खिलाफ दायित्व के रूप में लिया जाएगा। दी गई परिस्थितियों में, आवेदक किसी भी ब्याज के हकदार नहीं हैं|

(9) उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में, मुझे दोनों आवेदनों में कोई योग्यता नहीं मिलती और उन्हें खारिज किया जाता है।

(10) इस आदेश की प्रति भी प्रत्येक संबंधित फ़ाइल. के रिकॉर्ड पर रखी जाए |

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा